

प्रधान मुख्या आयकर आयुक्त का कार्यालय  
Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax,  
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad,  
१०<sup>th</sup> फ्लोर, इनकम टैक्स टावर्स 10<sup>th</sup> Floor, Income Tax Towers,  
एसी गार्ड्स, हैदराबाद A C Guards, Hyderabad – 500 004

फ.सं. सि.सि.ए.पि(1(11)(ए)/स्थापना/2022-23  
F.No.Pr.CCAP/1(11)(a)/OL/Estt./2022-23

दिनांक 08.07.2022  
Date: 08.07.2022

विषय: स्थापना - आयकर विभाग, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद - वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुबाद अधिकारी का स्थानांतरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक जारी किया जाता है।

**Sub:** Establishment – Income Tax Department, Andhra Pradesh, Hyderabad – Transfers and Postings of Hindi Translators – Orders – Issue of – Reg.

\*\*\*\*\*

**आदेश संख्य 2022 का 19 ORDER No.19/2022:**

एतद्वारा वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुबाद अधिकारी का स्थानांतरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक जारी किया जाता है।

The transfers and postings of the following Hindi Translator is hereby ordered with immediate effect and until further order:

क्रम संख्य Sl. No.	कर्मचारी का नाम Name of the official श्री/श्रीमती/सुश्री Sri/Smt/Kum/S.	से स्थानांतरित Transferred from	को स्थानांतरित Transferred to
1	अभिषेक कुमार ABHISHEK KUMAR	का. आयकर महानिदेशक(अन्वेषण) DGIT(INV), HYDERABAD	का.मु.आ.आ, हैदराबाद CCIT, HYDERABAD

2. कार्यालय को 14-07-2022 तक सकारात्मक रूप से स्थानांतरण के आदेश के तहत अधिकारी को कार्यमुक्त करने की आवश्यकता है

The Office is required to relieve the official under orders of transfer positively by **14-07-2022**.

3. यदि किसी अधिकारी को उक्त तिथि से बाद रखने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो कार्यालय के प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से पूर्व लिखित स्वीकृति लेनी होगी।

In case, any official is being proposed to be retained beyond the above mentioned date, the Head of Office shall take prior written approval from the Pr.Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana.

4. स्थानांतरण के आदेश के तहत अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके तहत वे वर्तमान में काम कर रहे हैं। छुट्टी के आवेदन, यदि कोई हों, आवश्यक कार्रवाई के लिए नए पदस्थापन स्थान पर अग्रपेक्षित किए जा सकते हैं

The official under orders of transfer shall not be granted Earned Leave by the Competent Authority under whom they are presently working. Leave applications, if any, may be forwarded to the new place of posting for necessary action.

L

5. कार्यालय के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे रिकॉर्ड में डेटा को अद्यतन करने के लिए 15-07-2022 तक अधिकारियों को उनके कार्यालयों से / में कार्यमुक्त करने और कार्यभार संभालने पर अलग से अनुपालन रिपोर्ट भेजें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में प्रमाणित करना चाहिए कि अधिकारी को कार्यमुक्त करते समय उत्तराधिकारी को उचित सुपुर्दगी नोट दिया गया है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों के एपीएआर पूरे हो गए हैं और विधिवत अग्रेषित किए गए हैं

The Heads of Office are directed to send separate compliance report on relieving and joining of the officials from/to their offices latest by **15-07-2022**, for updating the data in records. The Head of Office should certify in the compliance report that proper handing over note has been given to the successor at the time of relieving of the official. It is also to be noted for the APARs of the officials reporting to the Officers concerned are completed and duly forwarded.

6. अधिकारी अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, केवल उन्हें आवंटित अपनी नई पदस्थान में शामिल होने के बाद दाखिल कर सकते हैं और पुरानी पोस्टिंग से दाखिल किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

The officials may file their representations, if any, only after joining in their new posting allotted to them and representation filed from the old posting will not be considered.

7. सभी प्राप्त अभ्यावेदन, निपटान बंद हैं All representation received, stands disposal off.

8. यह प्रधाण मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया जाता है।

This issues with the prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad.

Sd/-

सि.वि. पवन कुमार (C.V. PAVANA KUMAR)

अयकार आयुक्त(प्रशासन & टि.पि.एस)

Commissioner of Income Tax(Admn&TPS),

हैदराबाद Hyderabad

प्रतिलिपि Copy to:

- 1 संबंधित कर्मचारी The Officials concerned.
- 2 महानिदेशकमहानिदेशक(अन्वेषण), हैदराबाद और सभी मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र. The DGIT(Inv.), Hyderabad and all the CCsIT in AP & Telangana Region.
- 3 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ All the Pr.CsIT/Pr.DsIT/CsIT/DsIT in AP & Telangana Region.
- 4 सहायक संचालक(राजभाषा), हैदराबाद The AD(OL), Hyderabad.
- 5 सचीव, आईटिगोवा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना The Secretary, ITGOA, AP & TS Unit.
- 6 सचीव, आई.टी.ई.टी.ई.एफ, हैदराबाद The Secretary, ITEF, Hyderabad.
- 7 क्षेत्रय लेखा अधिकारी, सि.बि.डि.टि, हैदराबाद व विशाखपट्टणम ZAO, CDBT, Hyderabad/Visakhapatnam.
- 8 प्र.मु.आ.आ, कार्यालय, हैदराबाद के सभी अनुभाग All sections in O/o. Pr.CCIT, Hyderabad.

थम्बा महेंद्र (THAMBA MAHENDRA)

उप अयकार आयुक्त(मुख्यालय)(प्रशासन)

Dy. Commissioner of Income Tax(Hqrs.)(Admn.),

प्र.मु.आ.आ कार्यालय, आ.प्र & तेलंगाना, हैदराबाद

O/o. Pr.CCIT, AP & TS, Hyderabad